ADITYA BIRLA CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला फाइनैंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात – 362 266.
शाखा कार्यालय : 17, द्वितीय तल, विजया बैंक बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001.

कब्जा सूचना

ख्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के तहत,

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, आदित्य बिड़ला फाइनैंस लिमिटेड, द्वितीय तल, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना दिनांकित 18–10–2023 जारी की थी, जिसमें कर्जदारों/सह–कर्जदारों नामतः मैसर्स नॉवल टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निदेशक, संजीव धवन, राजीव धवन से उक्त सूचना में वर्णित अनुसार 16–10–2023 तक मूलधन, पिछला बकाया, उद्भूत विलम्ब प्रभार और देय ब्याज के रूप में बकाया राशि रू. 6,46,73,896.40/– (रूपए छह करोड़ छियालीस लाख तिहत्तर हजार आठ सौ छियानवे तथा पैसे चालीस मात्र) का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा नीचे वर्णित कर्जदार और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा 02–02–2024 को ले लिया है।

कर्जदार/गारंटर को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आदित्य बिड़ला फाइनैंस लिमिटेड, द्वितीय तल, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001 की बकाया राशि रू. 6,46,73,896.40/– (रूपए छह करोड़ छियालीस लाख तिहत्तर हजार आठ सौ छियानवे तथा पैसे चालीस मात्र) और उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

कर्जदार/गारंटर का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

अचल सम्पत्ति

बंधक सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :

"विजय नगर, डा. मुखर्जी नगर, नई दिल्ली–110009 में स्थित सम्पत्ति डी–15/एबी, भू तल और द्वितीय तल"

स्थान : दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि : 02–02–2024 — **(आदित्य बिड़ला फाइनैंस लिमिटेड)**

जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिक्स लिमिटेड

सीआईएन नं. : L60231UP2008PLC069245
पंजीकृत कार्यालय : ए–1, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा – 281403, भारत
ई–मेल : contactus@jindalinfralogistics.com
वेबसाइट : www.jindalinfralogistics.com

असाधारण आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") गुरुवार, 29 फरवरी, 2024 को अप. 2.00 बजे, असाधारण आम बैठक की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ए–1, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा–281403, (यू.पी.) में आयोजित की जाएगी। ईजीएम की सूचना उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजा दी गयी है जिनके पास रिकॉर्ड तिथि यानी 02 फरवरी, 2024 के अनुसार शेयर हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है और इसकी भौतिक प्रति अन्य सभी सदस्यों को भेज दी गई है। उक्त प्रलेख कंपनी की वेबसाइट **www.jindalinfralogistics.com** पर भी देखे जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को कंपनी की ईजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।

सदस्य कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें :

क. रिमोट ई–वोटिंग सोमवार, 26 फरवरी, 2024 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 28 फरवरी, 2024 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी।

ख. रिमोट ई–वोटिंग बुधवार, 28 फरवरी, 2024 को सायं 5.00 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी।

ग. रिमोट ई–वोटिंग और ईजीएम में मतदान के माध्यम से मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि 22 फरवरी, 2024 है।

घ. कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने और कट–ऑफ तिथि यानी 22 फरवरी, 2024 को शेयर रखने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है, वह आरसीएमसी शेयर्स रजिस्ट्री (प्राइवेट) लिमिटेड, कंपनी के आर एंड टी एजेंट, बी–25/1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज I।, नई दिल्ली – 110020, फोन – 011–26387320–21, फैक्स– 011–26387322, ईमेल– **evoting.services@rcmcdelhi.com** से संपर्क करके उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

ड. जो सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालते हैं, वे भी ईजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ईजीएम में वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

च. पोल के माध्यम से मतदान की सुविधा ईजीएम में उन सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है।

छ. सदस्यगण ईजीएम सूचना में दिए गए ई–वोटिंग निर्देशों को पढ़ सकते हैं या **https://evoting.nsdl.com** पर जा सकते हैं और किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप **https://evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिये ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं।

कृते जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिक्स लिमिटेड
हस्ता./–
आलोक कुमार
कंपनी सचिव
एसीएस–19819

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05–02–2024

प्रपत्र सं. यूआरसी–2

कम्पनी अधिनियम 1956 के अध्याय XXI के भाग–I के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सूचना देने के लिये विज्ञापन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुपालन में]

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुपालन में केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6,7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी, मानेसर, जिला–गुडगाँव (हरियाणा)–पिन कोड–122050/कम्पनी रजिस्ट्रार कानपुर में रजिस्ट्रार के पास इस सूचना के पन्द्रह दिनों के बाद किन्तु तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि मै. ए टू जेड मैनेजमेन्ट सॉल्यूशन्स, एलएलपी का शेयर्स द्वारा को शेयर्स द्वारा एक कम्पनी लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकृत की जाये।
2. कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
   1. प्रौद्योगिकी, हेल्थकेयर, अभियांत्रिकी, व्यवसाय विकास, वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में परामर्शदाता का कार्य करना तथा उत्पादों तथा उससे संबंधित अन्य कार्यों में ट्रेडिंग करना।
   2. सॉफ्टवेयर विकास, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर पर उत्पाद विकास, मोबाईल एप्स तथा बैक ऑफिस, प्रॉसिसिंग का व्यवसाय करना तथा उससे संबंधित अन्य कार्य करना।
   3. प्रस्तावित कंपनी के ड्राफ्ट मेमोरेंडम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति फ्लैट नं. 2013, टावर–जे, ग्रेट वैल्यू शरणम, सेक्टर 107, गौतम बुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत 201301 में कार्यालय में देखी जा सकती है।
   4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी) भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसार, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड–122050 में रजिस्ट्रार के पा जमा करें।

आज, दिनांक 05.02.2024 को।

ए–2 जेड, मैनेजमेन्ट सॉल्यूशन्स एलएलपी
हस्ता./– हरि नाम जयसवाल
DIN: 05149096
पद्नामित पार्टनर,
पताः 377, एमजी कालेज रोड, पुराइलपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273001, भारत
हस्ता./– कृष्णा देवी जयसवाल,
DIN: 05149098
पद्नामित पार्टनर
पताः 377, एमजी कालेज रोड, पुराइलपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273001, भारत

फॉर्म नं. आईएनसी–26

[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है

माननीय क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष,
उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
तथा
मैसर्स अटारा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय डब्ल्यू–2 ग्रेटर कैलाश पार्ट 2, नई दिल्ली–110048 में है के मामले में
.....वाचिकाकर्ता/आवेदक

एतद्द्वारा सामान्य जनता को **सूचित** किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 20 जनवरी, 2024 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के पते बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, 2 फ्लोर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालयः डब्ल्यू–2 ग्रेटर कैलाश पार्ट 2, नई दिल्ली–110048
कॉर्पोरेट कार्यालयः ए–29/10, डीएलएफ फेज–1, गुरूग्राम, हरियाणा–122002

कृते और उनकी ओर से
मैसर्स अटारा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
रिंकु मेनानी
निदेशक
स्थानः नई दिल्ली — **DIN: 00447592**
तिथिः 06.02.2024

ART HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED

(Formerly known as ART Affordable Housing Finance (India) Limited)
Regd. Office: 107, First Floor, Best Sky Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034
Branch Office: 49, Udyog Vihar Phase 4, Gurugram, Haryana 122015

परिशिष्ट–IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जे की सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अधोहस्ताक्षरी आर्ट हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड, (सीआईएन सं. U65999DL2013PLC255432, के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ऋण खाता संख्या LXDEL05516-170000450 के लिए दिनांक 07.10.20223 को मांग नोटिस जारी किया गया जिसमें उधारकर्ता श्री दिनेश कुमार वर्मा एवं श्री कन्हैया लाल को नोटिस में उल्लिखित राशि 06.10.2023 के अनुसार रु. 19,13,156/–(उन्नीस लाख तेरह हजार एक सौ छप्पन रुपये मात्र) और उस पर ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा है।

उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 02.02.2024 को भौतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन करने पर आर्ट हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड को 06.10.2023 के अनुसार रु. 19,13,156/– (उन्नीस लाख तेरह हजार एक सौ छप्पन रुपये मात्र) और उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

गांव बिदापुर में दक्षिण विस्तार की की आबादी में, उत्तम नगर,नई दिल्ली के क्षेत्र में स्थित 11–ए की छत के अधिकार के बिना पूरी पहली मंजिल वाली संपत्ति, खसरा नंबर 2 से बाहर 50 वर्ग गज की भूमि पर निर्मित , जो निम्नानुसार घिरा हुआ है:

पूर्व : शीर्षक विलेख के अनुसार — **उत्तरः** शीर्षक विलेख के अनुसार
पश्चिमः शीर्षक विलेख के अनुसार — **दक्षिणः** शीर्षक विलेख के अनुसार

दिनांकः 02.02.2024 — **अधिकृत अधिकारी**
स्थानः दिल्ली — **आर्ट हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड**

वैलेंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड,

सीआईएनः L74899DL1993PLC056652
रजि. कार्यालयः 71/1, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली–110015
फोनः+91–11–25928415, 25928416
ईमेलः investors@valiantcom.com, वेबः www.valiantcom.com

असाधारण आम बैठक की सूचना

एतत्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि वैलेंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की एक असाधारण आम बैठक ('ईजीएम') गुरुवार, 29 फरवरी, 2024 को सुबह 10:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ऑडियो वीडियो साधन ('ओएवीएम') कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, नियमों और लागू के अनुसार, ईजीएम के लिए नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को चलाने के लिए बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना परिपत्र जारी किये गये है वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा. लागू परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं।

सभी सदस्यों को ईजीएम की सूचना ईमेल करने का काम 05 फरवरी 2024 को पूरा हो गया है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

कंपनी ईजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग सुविधा और ईजीएम में ई–वोटिंग सुविधा अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ईजीएम में प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए प्रदान कर रही है और यह सुविधा प्रदान की जा रही है लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल)। ईजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों के पास है ईजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने वाले लोग वीसी/ओएवीएम के जरिए भी ईजीएम में शामिल हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। रिमोट ई–वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में शामिल होने और सदस्यों द्वारा ईजीएम में ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया ईजीएम के नोटिस में प्रदान की गई है।

यदि सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए ई–मेल पता पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

1. डीमैट होल्डिंग: डीमैट फॉर्म में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे इस लिंक **https://www.valiantcom.com/corporate/investors/investordetails. html** पर क्लिक करके अस्थायी रूप से अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं: और उसमें बताए अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के मामले में, कोई सदस्य **investors@valiantcom.com.** पर एक ईमेल भेज सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ईमेल आईडी के स्थायी पंजीकरण के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डीपी और डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया का पालन
2. भौतिक होल्डिंग: कंपनी के इक्विटी शेयरों को भौतिक रूप में रखने वाले सदस्यों और जिन्होंने कंपनी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे आरटीए यानी लिंक इनटाइम के साथ फॉर्म आईएसआर –1 और अन्य संबंधित फॉर्म लिंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) **delhi@linkintime.co.in**ए पर जमा करके अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करें सदस्य इस लिंक **https://www.valiantcom.com/corporate/investors/investor-details.html** पर क्लिक करके निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं: और उसमें बताए अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के मामले में, कोई **investors@valiantcom.com**ए पर एक ई–मेल भेज सकता है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किरू

1. ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को ई–वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा।
2. रिमोट ई–वोटिंग सोमवार, 26 फरवरी 2024 (सुबह 10:00 बजे आईएसटी) को शुरू होगी और बुधवार, 28 फरवरी 2024 (05:00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। उसके बाद एलआईआईपीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग सुविधा अक्षम कर दी जाएगी और एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. कोई भी व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि, यानी गुरुवार, 22 फरवरी 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल ईजीएम में रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने का हकदार होगा।
4. कोई भी व्यक्ति जो ईजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस लिंक पर अनुरोध कर **enotices@linkintime.co.in.** प्राप्त कर सकता है।
5. ईजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट **www.valiantcom.com** और बीएसई लिमिटेड की **वेबसाइट www.bseindia.com** और एलआईआईपीएल की वेबसाइट **https://instavote.linkintime.co.in.** से डाउनलोड किया जा सकता है।

जिन सदस्यों को ई–वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए ईजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे उन्हें **instameet@linkintime.co.in** पर संबोधित कर सकते हैं या +91 (022) 4918 6175 पर कॉल कर सकते हैं।

वैलेंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
मनीष कुमार
कंपनी सचिव
स्थान :नई दिल्ली — **आईसीएसआई सदस्यता संख्या ए16483**
दिनांकः 05 फरवरी, 2024

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, पीठ–4, नई दिल्ली के समक्ष

फॉर्म नं. सीएए–2
(धारा 230(3) एवं नियम 6 एवं 7 के अनुसरण में)

कंपनी आवेदन सं. सीए(सीएए)–88/एनडी/2023
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के मामले में
और
निम्नलिखित के बीच समामेलन की योजना के मामले में
नॉलेज लेंस प्राइवेट लिमिटेड
(हस्तांतरणकर्ता कंपनी/आवेदक कंपनी–1)
और
रॉकवैल ऑटोमेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(हस्तांतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी–2)
और
उनके संबंधित शेयरधारकगण एवं लेनदार
(संक्षिप्तता के लिए, आवेदक कंपनी–1 और आवेदक कंपनी–2 को इसके बाद सामूहिक रूप से **"आवेदक कंपनियां"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा)

रॉकवैल ऑटोमेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक की सूचना का विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, पीठ–4, नई दिल्ली ("अधिकरण") ने अपने आदेश दिनांक 12 जनवरी 2024 ("आदेश") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 230 से 232 के प्रावधानों के साथ पठित उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत आवेदक कंपनियों और उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच समामेलन की प्रस्तावित योजना पर विचार करने, और यदि जरूरी हुआ, तो संशोधन या बिना संशोधन उसे अनुमोदित करने के लिए कंपनी के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।

कथित आदेश एवं निर्देश के अनुसरण में और अधिनियम के लागू प्रावधानों एवं उसके अधीन जारी परिपत्रों के अनुपालन में आगे एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक शनिवार, 9 मार्च, 2024 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) बैठक से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही ए–66, सैक्टर–64, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, भारत में भौतिक सुविधा के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

माननीय अधिकरण के उपरोक्त कथित आदेश के अनुपालन में कंपनी ने निम्नलिखित के माध्यम से वोट डालने की सुविधा प्रदान की है – (i) उन अप्रतिभूत लेनदारों के लिए बैठक के दिन ई–वोटिंग प्रणाली जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे हैं और जिन्होंने बैठक से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, और (ii) बैठक के दिन मतपत्र, उन अप्रतिभूत लेनदारों के लिए जो बैठक में भौतिक रूप से भाग ले रहे हैं और बैठक से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है। कंपनी ने अपने सभी अप्रतिभूत लेनदारों को बैठक के दिन रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एनएसडीएल की सुविधा ली है। बैठक में भाग लेने और मतदान करने के विस्तृत निर्देश उपरोक्त बैठक के आयोजन की सूचना के नोट्स में दिए गए हैं।

उपरोक्त बैठक के दस्तावेजों के साथ सूचना कंपनी के अप्रतिभूत लेनदारों को 30 सितंबर 2023 (कट–ऑफ तिथि) तक भेज दिए गए हैं।

रिमोट ई–वोटिंग के लिए कट–ऑफ तिथि एवं रिमोट ई–वोटिंग के लिए समय अवधि निम्नानुसार है:

विवरण	अप्रतिभूत लेनदार बैठक
रिमोट ई–वोटिंग के लिए कट–ऑफ तिथि	30 सितम्बर, 2023
रिमोट ई–वोटिंग प्रारंभ दिवस, दिवस, तिथि एवं समय	सोमवार, 4 मार्च, 2024 (प्रात : 9.00 बजे)
रिमोट ई–वोटिंग समाप्त दिवस, तिथि एवं समय	शुक्रवार, 8 मार्च, 2024 (सायं 5.00 बजे)

यदि कोई अप्रतिभूत लेनदार बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डालता है तो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से की गई वोटिंग मान्य होगी और बैठक के दौरान ई–वोटिंग द्वारा किया गया मतदान अमान्य माना जाएगा। इसके अलावा, अप्रतिभूत लेनदार जो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने का विकल्प चुनते हैं वे केवल उपरोक्त बैठक में भाग लेने के हकदार होंगे लेकिन उन्हें बैठक के दौरान दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, अप्रतिभूत लेनदार जिनके नाम उपरोक्त कट–ऑफ तिथि पर कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज हैं केवल वे ही वोट देने के हकदार होंगे। अप्रतिभूत लेनदारों का वोटिंग अधिकार 30 सितंबर 2023 को कंपनी की बहियों में दर्ज ऋण के मूल्य के अनुपात में होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के प्रावधानों के अनुसार, निकाय कॉर्पोरेट/संस्था/कॉर्पोरेट अप्रतिभूत लेनदार अपनी ओर से बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकते हैं बशर्ते निदेशक मंडल या अन्य शासी निकाय के संकल्प की एक प्रति ऐसे निकाय कॉर्पोरेट अप्रतिभूत लेनदार को इसे या तो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाएगा या info@vapn.in पर ई–मेल पर भेज जाएगा और इसकी एक प्रति prabhakar.dutta@rockwellautomation.com और evoting@nsdl.com पर बैठक प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व भी भेजी जाएगी। इसके अलावा, बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार एक अप्रतिभूत लेनदार अपनी ओर से बैठक में भौतिक रूप से भाग लेने और अपनी ओर से मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को अप्रतिभूत लेनदार होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉक्सी नियुक्त करने वाला इंस्ट्रूमेंट विधिवत रूप से भरा गया एवं मुहर लगाकर हस्ताक्षरित होना चाहिए और इसे बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले या तो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए या पदवि/अंघदण्पद पर ई–मेल पर भेजा जाना चाहिए और एक प्रति prabhakar.dutta@rockwellautomation.com और evoting@nsdl.com पर भेजी जानी चाहिए।

माननीय अधिकरण ने उपरोक्त बैठक के लिए श्री राजेश शर्मा, एकसीए को अध्यक्ष, श्री जी. आनंद सेल्वम, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष और श्री प्रभाकर कुमार को संवीक्षक नियुक्त किया है। समामेलन की योजना, यदि उपरोक्त बैठक में अनुमोदित हो जाती है तो माननीय अधिकरण की अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

उपरोक्त बैठक का परिणाम बैठक के अध्यक्ष द्वारा संवीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बैठक के समापन के दो (2) कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा और इसे एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किया जाएगा।

संलग्न सूचना और व्याख्यात्मक विवरणों में उल्लिखित सभी प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों पर अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और बैठक में भी उपलब्ध कराए जाएंगे।उक्त दस्तावेज लिखित रूप में अनुरोध करने पर या कंपनी को prabhakar.dutta@rockwellautomation.com पर ईमेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, प्रतिभत लेनदार और अप्रतिभूत लेनदार www.evoting.nsdl.com पर "डाउनलोड" सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का अवलोकन सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते है या www.evoting.nsdl.com प